

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विकास की योजनाएं

विवरण 20

सरकार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण तथा विशेष रूप से उनकी शिक्षा तथा रोजगार में पूर्ण रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए पूर्णतः आशयित बजट प्रावधानों को एक स्थान पर रखने का प्रारंभिक प्रयास किया गया है। लाभार्थियों की यह श्रेणी अन्य कार्यक्रमों से भी लाभान्वित होती है लेकिन उनकी वर्तमान में पृथक्करण/गणना नहीं की जाती है। इस विवरण का आशय विवरण सं. 19 में यथा उल्लिखित पूर्णतः महिलाओं तथा बालकों के लाभ के लिए आशयित बजट प्रावधानों के सम्बन्ध में लाभार्थियों की श्रेणी के अनुसार बजट प्रावधानों के पृथक्करण की भावी प्रक्रिया हेतु एक संदर्भ बिन्दु के रूप में सहायता प्रदान करना है। वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन पूर्णतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निम्नानुसार होंगे :

मंत्रालय/विभाग	(करोड़ रुपए)								
	बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
मांग संख्या 57									
बुनियादी शिक्षा और साक्षरता									
कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय	100.00	...	100.00	90.00	...	90.00	225.00	...	225.00
मांग संख्या 61									
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय									
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	0.60	1.80	2.40	0.40	1.80	2.20	0.70	1.95	2.65
मांग संख्या 79									
ग्रामीण विकास विभाग									
स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	450.00	-	450.00	450.00	-	450.00	431.12	-	431.12
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	1836.00	-	1836.00	1836.00	-	1836.00	1440.00	-	1440.00
ग्रामीण आवास निर्माण (इंदिरा आवास योजना)	1345.20	-	1345.20	1561.20	-	1561.20	1495.69	-	1495.69
मांग संख्या 88									
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय									
<i>अनुसूचित जाति का कल्याण</i>									
अनुसूचित जाति संघटक आयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता	402.00	...	402.00	373.99	...	373.99	491.22	...	491.22
मैट्रिक-पश्चात् छात्रवृत्ति योजना	313.24	...	313.24	313.24	...	313.24	371.89	...	371.89
मैला ढोने वालों की मुक्ति एवं पुनर्वास
नागरिक अधिकार संरक्षण क्रियान्वयन अधिनियम, 1955 और अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के क्रियान्वयन हेतु तंत्र	34.75	...	34.75	34.75	...	34.75	36.91	...	36.91
बालिका छात्रावास	22.00	...	22.00	15.00	...	15.00	0.01	...	0.01
बाल छात्रावास	26.00	...	26.00	26.00	...	26.00	0.01	...	0.01
मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना	16.00	...	16.00	10.00	...	10.00	0.01	...	0.01
अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	25.50	...	25.50	25.50	...	25.50	26.00	...	26.00
अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु अन्य कार्यक्रम	35.70	...	35.70	4.72	...	4.72	21.56	...	21.56
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के साझा कार्यक्रम	63.10	11.74	74.84	61.10	10.65	71.75	89.96	10.52	100.48
मद्यनिषेध एवं स्वापक दुरुपयोग रोकथाम हेतु शिक्षा कार्य	26.09	...	26.09	22.93	...	22.93	30.64	...	30.64
बाल अपराध संबंधी सामाजिक अव्यवस्था की रोकथाम एवं नियंत्रण	18.90	...	18.90	18.90	...	18.90	0.01	...	0.01
<i>सरकारी उद्यमों में निवेश</i>									
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	15.10	...	15.10	11.00	...	11.00	16.60	...	16.60
राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम	49.00	...	49.00	49.00	...	49.00	31.50	...	31.50
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	22.00	...	22.00

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विकास की योजनाएं

विवरण 20

(करोड़ रुपए)

मंत्रालय/विभाग	बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
मांग संख्या 94									
जनजाति कार्य मंत्रालय									
सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	1.00	5.16	6.16	0.06	5.17	5.23	0.75	5.40	6.15
विवेकाधीन अनुदान	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02
अनुसूचित जाति कल्याण									
जनजाति उप-आयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना	14.00	...	14.00	6.00	...	6.00
पीएमएस, बुक बैंक और जनजाति विद्यार्थियों की योग्यता उन्नयन हेतु योजनाएं	65.49	...	65.49	76.99	...	76.99	230.65	...	230.65
जनजाति बालिका एवं बाल छात्रावासों हेतु योजनाएं	24.00	...	24.00	13.00	...	13.00
अनुसूचित जनजाति कल्याण हेतु अन्य कार्यक्रम	147.01	7.83	154.84	85.65	7.31	92.96	94.41	5.50	99.91
राज्य आयोजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता									
जनजाति उप-आयोजनाएं	497.00	...	497.00	497.00	...	497.00	727.01	...	727.01
संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक (i) के अधीन योजनाओं हेतु सहायता	330.00	...	330.00	330.00	...	330.00	380.00	...	380.00
राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	35.50	...	35.50	35.50	...	35.50	27.00	...	27.00
पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम हेतु एकमुश्त प्रावधान	32.00	...	32.00	25.25	...	25.25	39.00	...	39.00
कुल योग	5,945.18	26.55	5,971.73	5,993.18	24.95	6,018.13	6,229.65	23.39	6,253.04